न्यायालय श्रीमान् राजस्वमंडल ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

अभय कुमार तनय सुखदेव बिहारी कायस्थ
निवासी-ग्राम नौबीखेड़ी तह० गौरिहार
जिला-छतरपुर म.प्र. ......आवेदक

- बनाम -

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू रा. संहिता 1959 विरुद्ध कमिश्नर सागर संभाग सागर के प्र.क्र. निग0 138/अ-19(4)/94-95 में पारित आदेश दि0 18.11.96 से दुखित होकर-

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम नौबीखेड़ा में स्थित भूमि ख.नं. 1124, 1168 रकवा क्रमशः 0.849 एवं .076 हेक्टे. भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम से भूमि स्वामी अधिकारों पर नायब तहसीलदार सरवई द्वारा अपने राजस्व प्र.क्र. 114/अ-19(4)/87-88 में पारित आदेश दिनांक 26.11.87 द्वारा म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के तहत विधिवत रूप से स्वीकार किया गया था। जिसके विरुद्ध कोई भी अपील अथवा निगरानी न होने के कारण उक्त आदेश अंतिम हो गया था। परंतु फिर भी कलेक्टर छतरपुर द्वारा उक्त प्रकरण को एक शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर स्व0प्रे0निग0 में दिनांक 20.3.95 को बिना किसी पर्याप्त आधार के लिया गया। जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा एक निगरानी कमिश्नर सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। जिसे कि उन्होंने अपने प्र.क्र. 138/अ-19(4)/94-95 में पारित आदेश दिनांक 18.11.96 द्वारा खारिज कर दिया। जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी श्रीमान के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है :-

....2/-

मिसल - 8 ए/97 (छतरपुर)

27.6.16. आवेदक की ओर से कोई
उप० नहीं [illegible] न ही
[illegible] ओर से कोई [illegible] उप०
[illegible] प्रकरण स्थान पंजी [illegible]
[illegible] जांच हो। पक्ष बार [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

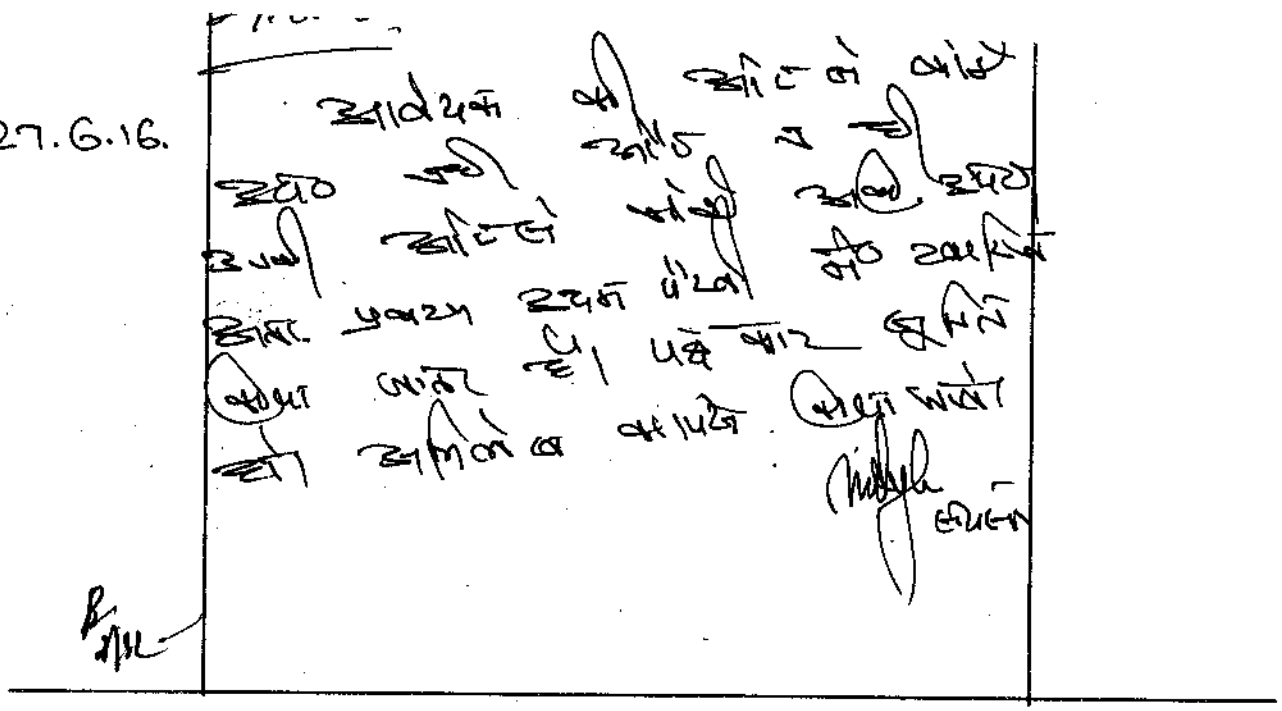

(हस्ताक्षर)
[illegible]

[illegible]

[कृ. प. उ.